राजस्थान सरकार
राज्य वित्त आयोग
बी–ब्लॉक, (प्रथम तल) वित्त भवन, जनपथ जयपुर।

जयपुर दिनांकः– 21.07.2015

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 29.5.2015 द्वारा डॉ॰ ज्योति किरण की अध्यक्षता मे पाँचवे वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर इन संस्थाओं द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के लिये इनकी जरूरतो एवं उपलब्ध संसाधनो के मध्यनजर इन्हे राज्य सरकार के कर राजस्व में से हिस्सा राशि, अनुदान दिये जाने की सिफारिश करेगा एवं इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये आवश्यक सुझाव भी देगा। इसके अलावा आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा अपने संसाधनो पर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित सेवाओं की पहचान, इन सेवाओं के मानकों, इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सुझाए गये मानकों के आधार पर धन की आवश्यकताओं तथा इन सेवाओं के लिए संसाधनो में अन्तर की पहचान करेगा। आयोग इन मानक सेवाओं को प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों द्वारा स्वयं के संसाधन सृजित करने के लिए आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में भी सुझाव देगा। आयोग को सौंपे गये कार्य (Terms of Reference) आयोग की वेबसाइट www.sfc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उपरोक्त विषयों पर आमजन/जन प्रतिनिधियों/स्वयं सेवी संगठनों/विषय विशेषज्ञों/हितधारकों से सुझाव सादर आमंत्रित करता है। इस बारे में सुझाव आयोग के कार्यालय में डाक से या व्यक्तिशः अथवा आयोग की ई–मेल sfc-5@rajasthan.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

(एस.सी.देराश्री)
सदस्य सचिव
फोन : 0141–2742881

Government of Rajasthan
State Finance Commission
B Block (1st Floor) Vitta Bhawan, Janpath, Jaipur

Jaipur July 21, 2015

Press Release

Hon'ble Governor vide order dated 29th May, 2015 has constituted this Commission under the Chairmanship of Dr. Jyoti Kiran to review the financial position of the Panchayats and Municipalities at all levels and make recommendations about the funds required for these bodies keeping in view the role and responsibilities assigned to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies. The Commission shall identify the services rendered by the Panchayats and Municipalities fully or partly funded from their own resources, standards of these services, normative requirements of funds for delivering these services at the standards recommended and the gaps in resources for rendering these services. The Commission shall also suggest the measures needed to generate own resources for delivering these standard of services. The Terms of Reference given to Commission can be seen on Commission's website www.sfc.rajasthan.gov.in

Before making recommendations, the Commission solicits the views of individuals/Public representatives/NGO's/experts/stakeholders on the Terms of Reference given to the Commission. The views can be sent by post, or on E-mail Sfc-5@rajasthan.gov.in.

(S.C. Derashri)
Member Secretary
Phone : 0141- 2742881